ग्राम पंचायत भूमति, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का
लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भूमति, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमती प्रेम लता	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती दिला राम	23.1.16 से आगे

सचिव

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	श्री पवन शर्मा	1.4.2014 से 28.7.2014
2	कुमारी सुनीता शर्मा	28.7.2014 से 10.2.2015
3	श्रीमती नीलम कुमारी	10.2.2015 से 11.6.2015
4	श्री विनोद	11.6.2015 से 7.3.2016
5	श्री धरमेंदर	7.3.2016 से 26.11.2016
6	श्रीमती विजय लक्ष्मी	26.11.2016 से आगे

(ख) गम्भीर अनियमितता का सारः–

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	25.92
2	9 (i)	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.52
3	11 (i)	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.29
4	13	अनियमित रूप से की अग्रिम राशि जारी करना	0.95
5	17 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	4.70

भाग–दो

2 ग्राम पंचायत भूमति के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा विकास खण्ड कार्यालय, कुनिहार में किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 10/14, 02/16 व 07/16 तथा व्यय हेतु माह 12/14, 11/15 व 3/17 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः–

ग्राम पंचायत भूमति के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 22 दिनांक 26.4.2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः–

(i) ग्राम पंचायत भूमति के स्व स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	796424.54	2035953	2832377.54	1262769.00	1569608.54
2015–16	1569608.54	2644842	4214450.54	2440608.00	1773842.54
2016–17	1773842.54	2547508	4321350.54	1388524.75	2932825.79

परिशिष्ट "क"

(ख) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत भूमति के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	653	124829	125482	125191	291
2015–16	291	478818	479109	478818	291
2016–17	291	572223.32	572514.32	572223.32	291

परिशिष्ट "क"

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था तथा जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार

₹40614.25 का अन्तर पाया गया जिसका समाधान शीघ्र करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष	दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष	अन्तर (1–2)
1	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	2932825.79	2892561.54	40264.25
2	मनरेगा	291.00	–59	350.00
			कुल योग	40614.25

<u>Detail of opening balance as on 01.04.14 (As per trial balance/Ledger)</u>

Head	Name of Bank	A/C No.	Balance
General	JCC Bank Arki	बन्धक खाता बावड़ी लुहारा	5200
	JCC Bank Arki	बन्धक खाता बावड़ी डाडल	12500
	Panjab & Sindh Bank	135	18985
	SBOP Bhumti	200003	477935.54
	JCCB Kunihaar	2921/3105	10361
	JCCB Kunihaar	3079/1460	269905
	Cach in hand		1538
		Total	**796424.54**
मनरेगा	SBOP Bhumti	(2811)	712
	Panjab & Sindh Bank Bhumti	4828	-59
			653

Detail of Closing balance as on 31.3.2017

Head	Bank	A/C No.	Amount
General	JCC Bank Arki	बन्धक खाता बावड़ी लुहारा	5200
	JCC Bank Arki	बन्धक खाता बावड़ी डाडल	12500
	Panjab & Sindh Bank	135	18985
	SBOP Bank Bhumti	200003	643427.54
	JCC Bank Kunihaar	2921/3105	1713472
	JCC Bank Kunihaar	3079/1460	498221
	Cach in hand		756
		Total	**2892561.54**
मनरेगा	SBOP Bank Bhumti	-----	0.00
IWMP	Panjab & Sindh Bank Bhumti	4828	-59
		Total	**-59**

नोटः– दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेष पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया है।

6 **बैंक तथा डाक घर खातों में दिनांक 31.3.2017 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–**

कई बार आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंकों/डाक घर में दिनांक 31.3.2017 को उनमें जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र बैकों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण इन खातों में दिनांक 31.3.2017 को दर्शाए गए शेषों के सही होने सम्बन्धी पुष्टि नहीं की जा सकी। क्योंकि दिनांक 1.4.2014 को भी इनती राशि ही आरम्भिक शेष के रूप में दर्शाई गई थी। जबकि 3 वर्षों के दौरान ब्याज भी अर्जित किया होगा परन्तु जिसकी पुष्टि रिकार्ड के अभाव में नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**31.3.2017 को जमा राशि**
JCC Bank Arki	बन्धक खाता	5200
JCC Bank Arki	बन्धक खाता	12500
Panjab & Sindh Bank	135	18985
SBOP Bhumti	2811	0
Panjab & Sindh Bank	4828	-59

7 **रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–**

(i) रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जायेगें और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता ख जाना जाएगा, परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ बही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु दो रोकड़ बहियाँ अलग से लगाई गई थी। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अन्त में नियमानुसार प्रधान द्वारा नियमित रूप से प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। रोकड़ बही में कई प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया था तथा कटिंगस की गई थी तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही में रसीदों की प्रविष्टि क्रमवार नहीं की जा रही थी। बीच–2 में हस्तगत/impress से सम्बन्धित ₹1000 से अधिक रखी गई थी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधना व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1, 2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) रोकड़ बही में ₹339 शेष कम दर्शानाः–

रोकड़ बही (सामान्य) की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार रोकड़ बही में ₹339 का शेष कम दर्शाया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

दिनांक	जितना शेष दर्शाया गया था (क)	जितना शेष होना चाहिए था (ख)	जितना शेष कम दर्शाया गया था
28.1.16	895	1085	190
20.8.15	2243	2253	10
24.7.15	5458	5558	100
10.11.14	75	96	21
25.3.15	1448	1466	18
		कुल योग	**339**

(iv) चैक से सम्बन्धित राशि के शेष गलत दर्शानाः–

रोकड़ बही (सामान्य) की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार रोकड़ बही में चैक्स (Cheques) से सम्बन्धित का शेष गलत दर्शाया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

दिनांक	जितना शेष दर्शाया गया था	जितना शेष होना चाहिए था
19.10.15	220300	300300
27.8.15	91200	16200

8 अनुदानः–

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹2592441.70 शेष दर्शाई गई थी। इससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कायों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को सही शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव तथा नियमित रूप से Update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.52 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

(i) ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹52152 (38902+7500+5750) राजस्व की कम वसूली की थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹52152 की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(क) गृहकरः–

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृहकर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृहकर
2014–15	664	20	–	13280	13280	458	12822
2015–16	664	20	12822	13280	26102	480	25622
2016–17	664	20	25622	13280	38902	0	38902

(ख) मोबाईल टावरः–

कम्पनी का नाम	टावर की सं0	वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	प्राप्ति	बकाया
बीएसएनएल तथा एयरटेल	2	2014–15	––	5000	5000	0	5000
		2015–16	5000	5000	10000	5000	5000
		2016–17	5000	5000	10000	2500	7500

(ग) दुकानों का किरायाः–

दुकानों की सं0	मासिक किराया	वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	प्राप्ति	बकाया
5	350 प्रति दुकान	2014–15	–	21000	21000	14750	6250
		2015–16	6250	21000	27250	17700	9550
		2016–17	9550	21000	30550	24800	5750

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.2014 को बकाया गृह कर की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर Updated मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर दुकानों के किराए तथा मोबाईल टावर के किराए के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। जिस कारण दिनांक 1.4.14 को गृहकर की वसूली हेतु बकाया राशि तथा वसूली रेट/किराये के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख Update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किय जायें।

10 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएंः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ, प्राक्कलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारेः–

(i) कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्राक्कलन (estimate) प्रशासनिक वित्तीय तकनीकी स्वीकृतियाँ आकलन एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई। इसके अतिरिक्त **परिशिष्ट "ग"** में दर्शाए गए निर्माण कार्यों की सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टयाँ, क्रम संख्या 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19 व 21 पर दर्शाए गए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तथा क्रम संख्या 1 से 23 तक वर्णित (क्रम संख्या 3 व 5 को छोड़ कर) निर्माण कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृतियाँ नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	निर्माण कार्य का नाम
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	12/14	26	निर्माण पक्का पाथ जमरोटी
		28	मनोरंजन भवन इकवा
		29	नवीनीकरण शिवालय चौक पार्क कूड़ादान निर्माण
		29	नवीनीकरण शिवालय चौक पार्क (अतिरिक्त राशि टाइल्स)
	11/15	88	निर्माण पंचायत घर भूमती
		88	निर्माण धोभी घाट डाडल
		89	निर्माण आंगनबाड़ी डाडल
		90	निर्माण स्टेज जमरोटी अतिरिक्त कार्य
	3/17	33	निर्माण नालियाँ रास्ता घाटडू से डाडल
	3/17	––	निर्माण चैक डैम सोठी नाला

11 क्रय सम्बन्धी अनियमितताएंः–

(i) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.29 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नानुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹428790 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	12/14	26	3600	साईन बोर्ड
			3500	रेता
			1640	रेत का किराय
			4500	रोडी
		28	20590	स्टील
			5250	रोडी
			16250	इंटे
			5250	रेत
			7000	ढुलाई
			11000	रेत बजरी
			10000	पत्थर
			8870	गेट
			1020	पेंट का सामान
			4500	गेट
			1800	रेत
		29	41900	फर्श की टाईल्स
			8100	रेत
	11/15	87	2000	बजरी
			6000	बजरी
			24000 (9000+15000)	पत्थर तथा रेत

		88	20000 (6000+14000)	रेत तथा ईंटें
			2942	सीमेंट का ढुलान
		89	15800	फर्श तथा दीवार टाईल्स
			14800	स्टील
		90	11000	बजरी
			6000	रेत
		91	1500	सीमेंट का ढुलान
	03/17	28	9154	दरवाजा, कुण्डी आदि
		30	25900	रेत, रोडी, ईटें
		31	32750	रीडी, ईंटें, पत्थर
			16150	रेत, रोडी, ईटें
		32	13557	टाइल्स, बैंड आदि
		33	3400	यू0पी0एस0 एन्टीवायरस
			12750	रेत, रोड़ी
			6027	स्टील
			19200	रेत तथा ढुलान
		35	15400	ईंटें
			3690	पायदान आदि
मनरेगा	03/17	—	12000	रेत
		कुल योग	**428790**	

(ii) ₹1.06 लाख की निर्माण सामग्री/विभिन्न वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत ने निम्नानुसार विभिन्न निर्माण सामग्रियों का क्रय किया था। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 67 के अन्तर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार ₹1000 से अधिक के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएं आमन्त्रित की जानी अनिवार्य है। परन्तु निम्नलिखित सामग्रियों के क्रय हेतु जो कोटेशन्स दर्शाई गई थी वे सही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि कोटेशन्स पर न तो क्रय समिति के हस्ताक्षर थे तथा न ही प्राप्त करने की तिथि, उनके खोले जाने की तिथि बारे कोई विवरण दर्ज था। तुलनात्मक विवरणियाँ भी नहीं बनाई गई थी। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि यह कोटेशन्स सीलबन्द भी नहीं थी जिस कारण कोटेशन्स संग्रहण उपरान्त क्रय करने/कार्य करवाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। यह प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इन्हें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से

नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये साथ में ₹46310 (32655+13655) के फर्नीचर क्रय से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरी की व्यय स्वीकृति भी दर्शाई जाए। भविष्य में क्रय करते समय सम्बन्धित नियमों में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई सामग्री	फर्म जिससे क्रय किया गया	जिन फर्मों से कोटेशन्स प्राप्त की गई थी
1	सामान्य (स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	03/17	30	21710	स्टील	JMD स्टील्स, कुनिहार	JMD स्टील्स, कुनिहार सिटी, राम चन्द एंड सन्स, कुनिहार सिटी, चंदेल हार्ड वेयर स्टोर, कुनिहार सिटी
2	यथोपरि			10975	विभिन्न वस्तुएं	राम चन्द & सन्स कुनिहार	–यथोपरि–
3	यथोपरि			27315	क्ले आदि	Lord Krishna Ceramics डेरा बस्सी मोहाली	लार्ड कृष्णा सेरेमिक्स, जवाहरपुर डेरा बस्सी, मोहाली शूलिनी ट्रेडर्स, डेरा बस्सी SAS नगर
4	यथोपरि			32655	फर्नीचर सम्बन्धी वस्तुएं	Himtech Industries, कुनिहार	हिम्टेक इंडस्ट्रीज, नजदीक पुराना बस स्टैंड, कुनिहार जय भवानी स्टील इंडस्ट्रीज, नजदीक पुराना बस स्टैंड, कुनिहार, मैसर्ज हार्ड टेक फर्नीचर इंडस्ट्रीज सुबाठु रोड, सपरून सोलन
5	यथोपरि			13655	–यथोपरि–	B.K. Enterprises, कुनिहार	B.K. Enterprises, कुनिहार मुकेश कुमार कुनिहार हीरा लाल एंड सन्स मेन बाजार कुनिहार
		कुल योग		**106310**			

(iii) भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है। व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय किये गए मेटीरियल तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान की एवज में पावतियाँ

प्राप्त नहीं की गई थी। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
(स्व स्त्रोत तथा अनुदान)	12/14	26	3600	साईन बोर्ड
			3500	रेता
			1640	रेत का किराया
			4500	रोडी
		28	20590	स्टील
			5250	रोडी
			16250	ईटें
			5250	रेत
			7000	ढुलाई
			11000	रेत, बजरी
			10000	पत्थर
			8870	गेट
			1020	पेंट का सामान
			4500	गेट
			1800	रेत
		29	41900	फर्श की टाईल्स
			8100	रेत
	11/15	87	2000	बजरी
			6000	बजरी
			24000 (9000+15000)	पत्थर तथा रेत
		88	20000 (6000+14000)	रेत तथा ईंटें
			2942	सीमेंट की ढुलाई
		89	15800	फर्श तथा दीवार टाईल्स
			14800	स्टील
		90	11000	बजरी
			6000	रेत
		91	1500	सीमेंट की ढुलाई
			974	कीलें पाईप आदि
	03/17	30	25900	रेत, रोडी, इंटें
		31	32750	रीडी, ईटें, पत्थर
			16150	रेत, रोडी, इंटें

		32	13557	टाईल्स, बैंड आदि
		33	3400	यूपीस एन्टीवायरस
			12750	रेत, रोडी
			6027	स्टील
			19200	रेत तथा ढुलान
		35	15400	ईंटें
			3690	पायदान आदि
मनरेगा	03/17	——	12000	रेत

12 ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹2.70 लाख के स्वीकृति पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करनाः—

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को आवास योजना (IAY) के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹270000 जारी की गई थी। परन्तु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास निर्माण कार्य हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा कार्य की प्रविष्टि माप पुस्तिका में नहीं दर्शाई गई तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृ0सं0	माह	राशि (₹)
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	27	12/14	37500
			37500
	30	12/14	20000
	89	11/15	25000
	91	11/15	37500
	92	11/15	112500
		कुल योग	**270000**

13 अनियमित रूप से ₹0.95 लाख की अग्रिम राशि जारी करनाः—

यह प्रतीत होता है कि विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु राशि जारी करते समय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 107 में दिए गये निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है। नियम में दिए गए निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु राशियाँ Participatory body या Registered body के माध्यम से जारी की जानी अपेक्षित है। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर आये व्यय का भुगतान मस्टर रोल तथा मैटीरियल के वास्तविक बिलों के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु निम्नलिखित

प्रकरण में पाया गया कि निर्माण कार्य कार्यान्वयन हेतु व्यक्तिगत रूप से अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी जबकि नियम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनयमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाने के साथ–2 इस राशि का समायोजन भी आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए। भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**अग्रिम राशि**	**टिप्पणी**
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	12/14	27	56340	अग्रिम राशि उप प्रधान को जारी
			21000	
			17670	
		कुल योग	**95010**	

14 पंचायत सहायक को किये गये ₹1990 के TA/DA के भुगतान सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

माह 12/14 में रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या 27 पर पूर्व पंचायत सहायक को ₹1990 के TA/DA के भुगतान से सम्बन्धित वाउचर की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) TA Claim फार्म पर मूल वेतन की प्रविष्टि नहीं की गई थी।

(ii) TA Claim फार्म पर प्रत्येक यात्रा दिवस हेतु ₹60 (70**%**) DA Claim किया गया था परन्तु फार्म के सम्बन्धित स्तम्भ में DA का admissiable रेट नहीं लिखा गया था।

(iii) TA Claim में सभी यात्राएं भूमती से कुनिहार (1.7.2014 से 3.12.14 के बीच की विभिन्न तिथियों को) दर्शाई गई परन्तु TA Claim फार्म पर कुनिहार पहुंचने तथा कुनिहार से वापिस चलने के समय की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण किये गये भुगतान के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अनियमितताओं बारे अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अभिलेख आवश्यक पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने के साथ–2 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी दर्शाई जाए। भविष्य में उपरोक्त अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

15 जलपान करवाए जाने से सम्बन्धित अनियमितता बारेः–

व्यय की पड़ताल के दौरान माह 12/14 में ₹810 (रोकड़ बही सामान्य पृष्ठ संख्या 27) का व्यय जलपान पर किया गया था। परन्तु वाउचर में इस बारे कोई भी विवरण दर्ज नहीं था कि यह जलपान किस तिथि को कितने व्यक्तियों तथा किस आयोजन पर करवाया गया। इस कारण इस भुगतान को सही नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्त

अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 ₹15800 का अनियमित भुगतानः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि माह 11/15 में (सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 89) फ्लोर तथा वाल टाईल्स के क्रय हेतु ₹15800 का भुगतान किया गया था। परन्तु बिल संख्या शून्य दिनांक 5.10.15 (पाल हार्डवेयर तथा इलेक्ट्रिकल, भूमती, अर्की) पर क्रय की गई टाईल्स की मात्रा तथा उनके रेटस बारे में विवरण दर्ज नहीं था, जिस कारण इस भुगतान को ही नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त सामान की खपत प्रविष्टि भी माप पुस्तिका में नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति एवं अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

17 स्टोर/स्टॉकः–

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत निम्न तालिकानुसार क्रय की गई विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान	12/14	26	3600	साईन बोर्ड
			3500	रेता
			4500	रोडी
		28	20590	स्टील

		5250	रोडी
		16250	ईंटें
		5250	रेत
		11000	रेत बजरी
		10000	पत्थर
		8870	गेट
		1020	पेंट का सामान
		4500	गेट
		1800	रेत
	29	41900	फर्श की टाईल्स
		8100	रेत
11/15	87	2000	बजरी
		6000	बजरी
		24000	पत्थर तथा रेत
		(9000+15000)	
	88	20000	रेत तथा ईंटें
		(6000+14000)	
	89	15800	फर्श तथा दीवार टाईल्स
		14800	स्टील
	90	11000	बजरी
		6000	रेत
	91	974	कीले पाईप आदि
03/17	29	9154	दरवाजा, कुण्डी आदि
		52985	सीमेंट
	30	25900	रेत, रोडी इंटें
	31	32750	रोडी, ईंटें, पत्थर
		16150	रेत, रोडी इंटें
	32	13557	टाईल्स, बैंड आदि
	33	3400	यी0पी0एस0 एन्टीवायरस
		12750	रेत, रोडी
		6027	स्टील

G.P. Bhumti

			19200	रेत तथा ढुलान
		35	15400	ईंटें
			3690	पायदान आदि
मनरेगा	03/17	——	12000	रेत
		कुल योग	**469667**	

18 विविध अनियमितताएंः—

(i) रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं किया जा रहा था। रसीद बुक रजिस्टर के स्तम्भों को पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था तथा रजिस्टर में रसीद बुकों के शेषों से सम्बन्धित स्थिति भी नहीं दर्शाई जा रही थी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करनाः—

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पचांयत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) बजट आंकलन (Budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2016—17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आंकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार/पारित करवाया जाना तथा विहित फार्म "11" पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि कई प्रकरणों में मस्टर रोल्स पर निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा निर्माण कार्यों का सत्यापन नहीं किया गया था तथा कई मस्टर रोल्स पर आवश्यक सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा गया था। बीच–2 में मस्टर रोल रजिस्टर में मस्टर रोल्स को क्रमानुसार जारी नहीं किया गया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(v) सावधि निवेशः–

ग्राम पंचायत द्वारा द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। यह प्रतीत होता हो कि इस ओर ध्यान नहीं किया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य रजिस्टर, अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर रजिस्टर, खाता बही आदि आग्रह करने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका नियमानुसार रख रखाव/Update नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार/निर्देशानुसार सभी रजिस्ट का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारेः–

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पचांयत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तोवज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलबध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 27.3.17 को IPH कर्मचारियों को किये गये ₹34200 के भुगतान को भी सम्बन्धित रजिस्टर में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(viii) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण भुगतान/जमा/समायोजन सम्बन्धी आवश्यक पड़ताल नहीं जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि**	**विवरण**
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	12/14	26	1350	भुगतान सम्बन्धी वाउचर नहीं दर्शाया गया
		29	7900	–यथोपरि–
		30	150	सम्बन्धित बैंक पास बुक में कमीशन की प्रविष्टी
			86	–यथोपरि–
		31	678	भुगतान सम्बन्धी वाउचर नहीं दर्शाया गया
			167	–यथोपरि–
	11/15	87	10000	TSC खाते में हस्तांतरित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा राशि के उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्ड नहीं दर्शाए गए
	11/15	89	200	सम्बन्धित बैंक पास बुक में प्रविष्टि
			150	सम्बन्धित बैंक पास बुक में कमीशन की प्रविष्टि
		90	76	–यथोपरि–
			76	–यथोपरि–
	10/14	–	–	माह में प्राप्त आय की सम्बन्धित बैंक पास बुक में जमा सम्बन्धी प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई

G.P. Bhumti

02/16	–	6188, 12390 तथा 83523	दिनांक 22.2.16 को इन राशियों की प्राप्ति से सम्बन्धित रसीदें तथा बैंक पास बुक में जमा नहीं दर्शाई गई

19 लघु आपत्ति विवरणिकाः– अलग से जारी नहीं की गई।

20 निष्कर्षः– खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 20/2017–खण्ड–1 –7151–7154 दिनाँक 08.12.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0
पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भूमति विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881